न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 99/2017
दायर दिनांक – 10/11/2017
निर्णय दिनांक – 17/05/2018

अनवान

1. लेहरूलाल पिता चेना ब्राहम्ण निवासी सिन्देसरखुर्द हाल निवासी खांखला तहसील सहाड़ा जिला – भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर राजसमन्द
2. तहसीलदार महोदय जरिये भूमिधारक रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् राजस्व अभिलेख में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् राजस्व अभिलेख में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम सिन्देसर खुर्द में वादी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 1181/433 रकबा 05–00 बीघा भूमि स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादी को वर्ष 1971 में जरिये आंवटन मिशल नम्बर 1020 वर्ष 1971 से दिनांक 22.06.1971 को आराजी संख्या 433 में से उक्त रकबा 05–00 बीघा जमीन आंवटित हुई। आवंटन की दिनांक से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है एवं उस पर वादी कृषि भूमि को लागत लगाकर कृषि योग्य बनाकर उसमें काश्त कर रहा है। जिस पर वादी का कब्जा मानते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 786 दिनांक 28.01.2013 को उक्त कृषि भूमि को गैर खातेदारी से वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की गई। तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर खातेदारी रूप से उक्त कृषि भूमि अंकित चली आ रही है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि जब वादी को वर्ष 1971 में आंवटित की गई एवं तदनुसार तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया, उसी जगह पर वादी का कब्जा चला आ रहा है एवं उसी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कब्जे की भूमि पर वादी का लागत लगाकर कृषि कार्य एवं अपनी सुविधानुसार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर, निर्विध्न करता चला आ रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादी को वर्ष 1971 से गैर खातेदारी हक से आंवटित की गई एवं वर्ष 2013 में गैर खातेदारी से खातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई किन्तु वादी का जिस जगह कब्जा है, वहां के राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश अंकित नहीं हो सकीं जिससे आये दिन प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी वादी को बेकब्जा करने की धमकियां देते रहते है एवं कहा जाता है कि वादी का जो भूमि आंवटित की गई वह जहां पर वादी का कब्जा है, वहां नहीं होकर अन्यत्र जगह है। इस पर वादी के द्वारा उस अन्य जगह बाबत् पुछा गया तो किसी भी प्रकार की जगह नहीं बतायी गई। चुंकि वादी को आंवटित एवं कब्जेशुदा भूमि गांव के नजदीक हो जाने से आम रास्ते के पास होने से तथा वर्तमान में नई माईन्स स्थापित हो जाने के कारण वादी को मौक से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है। जिस हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी वरिष्ठ नागरिक है तथा वर्तमान में अपने गांव खांखला निवास कर रहा है। जिससे वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि पर यदा कदा ही वादी आ सकता है। उसके स्थान पर उनका पुत्र समस्त कृषि कार्य देख रेख कर रहा है तथा वादी के लड़के द्वारा राजस्व अभिलेख के अंकन बाबत् पटवार हल्का राजपुरा से आज से करीब 02 माह पूर्व उक्त कृषि भूमि की सीमांकन बाबत् पता करवाया तब पता चला कि राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि का इन्द्राज नहीं है। जिस हेतु वादी के द्वारा राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस में उक्त आराजी जहां पर वादी का कब्जा एवं काश्त की जा रही है, अंकन कराने बाबत् उक्त वादीपत्र प्रस्तुत किया जा हा है। राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस में उक्त आराजी का अंकन नहीं होन सेआये दिन प्रतिवादीगण एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी वादी को बेदखल करने की धमकियां दे रहे है एवं यदि वादी को उसके आंवटित शुदा भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी तथा वादी को उपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नहीं होगी। उक्त वादपत्र प्रतिवादीगण जों कि राज्य सरकार के प्रतिनिधी है, उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है किन्तु उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

मामला है। क्योंकि यदि वादी को मौके से बेदखल कर दिया जाता है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नहीं है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा ही वादी को वर्श 1971 में कृषि भूमि आवंटित कर तत्पश्यात् खातेदारी रूप से अंकित की गइ। जिससे यदि राज्य सरकार को धारा 80 व्य. प्र.सं. के तहत सूचनापत्र प्रशित किया जाता है तो अनावश्यक विलम्ब लगेगा एवं यदि वादी को बेदखल कर दिया जाता है तो वादी द्वारा उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिससे प्रतिवादीगण को बिना सूचनापत्र दिये उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धरा 80(2) व्य. प्र.सं. के तहत प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतूक दिनांक 22.06.2017 को पटवार हल्का एवं प्रतिवादी सं. 2 के यहां उक्त आय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसके उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस मेंअंकन नहीं करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि ग्राम सिन्देसरखुर्द की आराजी संख्या 1181/433 जो वर्तमान में वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है उसे राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने की वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री प्रदान की जावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेघाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम सिन्देसर खुर्द की आराजी संख्या 1181/433 के स्वतंत्र उपयोग उपभोग जहां पर वादी का कब्जा है, वहां प्रतिवादीगण अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारी किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत राजपुरा पर रखा गया। दौराने शिविर तहसीलदार रेलमगरा पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

2/10

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटित हुई थी जिसका नक्शा ट्रेस में तरमीम नही हुआ है किन्तु वादी द्वारा वक्त आवंटन पत्रावली के नक्शा ट्रेस की प्रति भी प्रस्तुत नही की गयी है। किन्तु प्रकरण में नक्शा ट्रेस में अंकन किये जाने की जिम्मेदारी वादी की नही होकर वादी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सिन्देसर खुर्द में आराजी संख्या 1181/433 पर यदि वादी का नियमित कब्जा हो और किसी को कोई आपत्ति ना होकर किसी का हक अधिकार प्रभावित ना होता हो तो राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प राजपुरा पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 99 /17 वाद

वादीपक्ष :–

अन्तवान

(1) मोहनलाल पिता चेना ब्राह्मण नि॰ सिन्देसर खुर्द हाल खांखरा
त॰ सहाडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीपक्ष :–

बनाम

(1) राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर राजसमंद
(2) तहसीलदार जरिये भूमि धारक रेलमगरा

दावा :– 88 RTA मुकदमा धारा
वादी की ओर से :– पैरोकार सरकार
प्रतिवादी की ओर से :–

में इस आशय में दिनांक 17/5/18 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सिन्देसर खुर्द के आ॰नं॰ 1181/433 पर यदि वादी का नियमित कब्जा हो और किसी को कोई आपत्ति ना होकर किसी का हक अधिकार प्रभावित ना हो तो नक्शा ट्रेस मे तरमीम कि नियमानुसार कार्यवाही कि जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे।

आज दिनांक 17/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम न्यायालय कि मोहर से जारी कि गयी।

(शक्तिसिंह भाटी) RAS
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा